

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

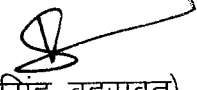
// आदेश //

क्रमांक AI 3407 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 06 / 2025

दो-14-55/24

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4131/82/नि-1/चार, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम /चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री रिकु बिरहा डुमार, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की मृत्यु दिनांक 25/09/2024 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 217 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती मंजीता बिरहा पति स्व. श्री रिकु बिरहा डुमार, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
42

पृष्ठांकन क्रमांक AI 3408 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 06 / 2025

दो-14-55/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी. सी.एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
6. श्रीमती मंजीता बिरहा पति स्व. श्री रिकु बिरहा डुमार, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर मो. 9131317726 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
42